सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, महावीर सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/18 **निर्णय दिनांकः 27–09–2019**

1. रायसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी चक 27 बीडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सुबोध पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी चक 27 बीडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–06–2016
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री गगन मोदी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 28–06–2016 जिसके द्वारा अपीलांट् के चिपते मुरब्बें में स्थित व नहर वन पट्टी हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को तहसील खाजुवाला में बतौर पाक विस्थापात चक 26 बीडी के मुरब्बा नम्बर 35/64 के किला नम्बर 5, 6, 14 ता 18, 23 ता 25 तादादी 10 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 25/59 के किला नम्बर 8 ता 15 में 8 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 16 ता 25 में 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल तादादी 28 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् अपीलांट को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी हासिल हो चुके है। अपीलांट मौके पर परिवार सहित ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि के चक 26 बीडी के मुरब्बा नम्बर 35/64 के बीच में से बीडी नहर निकलती है। नहर के पूर्व में चक 26 बीडी है तथा पश्चिम में चक 27 बीडी है। अपीलांट के चक 26 बीडी के मुरब्बा नम्बर 25/64 में नहर व वन पट्टी को छोड़कर शेष किला नम्बर 7 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 19 में 12 बिस्वा व किला नम्बर 4 में 12 बिस्वा कुल तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10—07—1987 को स्मालपेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा तमाम जॉच के उपरान्त उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया तथा आवंटन पट्टा जारी करते हुए मौके पर कब्जा भी प्रदान कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की 26 बीडी में भूमि स्थित नहीं होते हुए भी उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर चक 26 बीडी व 27 बीडी के मुरब्बा नम्बर 35/64 के किला नम्बर 11 में 1 बीघा, किला नम्बर 12 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 8 बिस्वा, किला नम्बर 19 में 5 बिस्वा, किला नम्बर 20 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 21 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 5 बिस्वा कुल तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 28—06—2016 को अपीलाधीन आदेश के माध्यम से कर दिया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि

निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि—धारकों व चिपते मुरब्बें के काश्तकारों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में ही आवंटितशुदा भूमि है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि के आवंटन की कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहॅुचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चक 27 बीडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 35/64 के किला नम्बर 11 में 1 बीघा, किला नम्बर 12 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 8 बिस्वा, किला नम्बर 19 में 5 बिस्वा, किला नम्बर 20 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 21 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 5 बिस्वा कुल 3 बीधा 13 बिस्वा भूमि के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदक महिपाल पुत्र गोरखराम, रायसिंह पुत्र रामचन्द्र, सुमित्रा पत्नी कन्हीराम व साहबराम पुत्र रामचन्द्र आदि को नोटिस जारी किये जाने पर अन्य किसी आवेदक के उपस्थित नहीं आने पर पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 (1) के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—06—2016 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07—08—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती की व न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 10—07—1987 को वादग्रस्त भूमि चक 26 बीडी के मुरब्बा नम्बर 35/64 के किला नम्बर 7 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 19 में 12 बिस्वा व किला नम्बर 4 में 12 बिस्वा कुल तादादी 3 बीघा 13 भूमि का स्मालपेच आवंटन किया गया। तत्पश्चात् इसी मुरब्बें की व इन्हीं किलों में शेष रही भूमि का आवंटन अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—06—2016 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि चूंकि उक्त भूमि के मध्य से बीडी नहर चालू है तथा उक्त मुरब्बा नम्बर 35/64 में अपीलांट की भूमि स्थित है तथा उक्त मुरब्बा नम्बर दो चकों में विभक्त है। ऐसीस्थिति में नहर के पूर्व में स्थित आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट व भूमि के संबंध में प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुबोध पत्नी दरियासिंह निवासी चक 27 बीडी ने स्मालपेच/मिडियमपे आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 27 बीडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 35/56 के किला नम्बर 1, 2 ता 23 कुल तादादी 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि धारण होने के कारण उक्त भूमि के चिपते मुरब्बा नम्बर 35/64 के किला नम्बर 11 ता 13 व 19 ता 22 में कुल 5 बीघा 3 बिस्वा कमाण्ड भूमि आराजीराज दर्ज होने के आधार पर आवंटन की मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवरी हल्का ने एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें बेतरतीब तरीके से नहर को दर्शाते हुए प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को हुबहु (डीटो) रिपोर्ट प्रस्तुत कर 5 बीघा 03 बिस्वा भूमि आवंटन हेतु अनुशंसा कर दी। पटवारी हल्का ने अन्य चिपते काश्तकारों यथा महीपाल सिंह पुत्र गोरखाराम, रायसिंह पुत्र रामचन्द्र, सुमित्रा पत्नी कन्हीराम, साहबराम पुत्र रामचन्द व चुखीदेवी पत्नी सुरजाराम आदि के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि जो भूमि आवंटन की जानी है वह किस काश्तकार के चिपते भूमि है। संबंधित तहसीलदार ने भी मूल रिपोर्ट ही उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी, अपनी राय उक्त रिपोर्ट पर प्रस्तुत नहीं की है।

उपखण्ड अधिकरी एवं आवंटन अधिकारी के कार्यालय में भी नोटशीट प्रस्तत हुई है उसमें भी अपीलार्थी को अनुपस्थित बताया है एवं रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता बताई गई है। कार्मिक ने आगे अपनी रिपोर्ट में पटवारी हल्का के नजरी नक्शें व सीएडी रिपोर्ट के अनुसार 4 बीघा 10 बिस्वा गैर मुमकिन नहर की भूमि दर्शाते हुए शेष रही भूमि 3 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदर एवं पटवारी द्वारा अपना माईण्ड एप्लाई नहीं किया कि अपीलाधीन आदेश की भूमि दो चकों में विभक्त है। इस हेतु दो चकों की भूमि आवंटन हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे।

अधीनस्थ न्यायालय ने भी इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया मात्र कार्मिक की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन बाबत् राशि जमा करवाते हुए आदेश जारी कर दिया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि आवंटित भूमि किस काश्तकार के चिपते भूमि है ना ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार से प्राप्त नोटिस का अवलोकन किया गया। जिसमें तामील कुनिन्दा ने अपीलार्थी को वहॉ रहना नहीं बताया है। अपीलार्थी व अन्य किसी काश्तकार का एक ही समय पर एक ही स्थान पर संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि नजरी नक्शा, जमाबन्दी एवं सीएडी के चक प्लान के मुताबिक यह भूमि किस काश्तकार के चिपते है। तदनुसार आवंटन की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय को यह भी देखना चाहिए था कि यह भी किस काश्तकार के चिपते है और वह इस भूमि पर कब से काबिज है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलांट को दिनांक 10—07—1987 को चक 26 बीडी के मुरब्बा नम्बर 35/64 के किला नम्बर किला नम्बर 7 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 12 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 15 बिस्वा, किला नम्बर 19 में 12 बिस्वा व किला नम्बर 4 में 12 बिस्वा कुल तादादी 3 बीघा 13 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटन नहर व अनिवार्य वन पट्टी की भूमि को छोड़ते हुए किया गया था। तदुपरान्त आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 28—06—2016 को चक 27 बीडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 35/64 जिसमें अपीलांट को पूर्व से ही भूमि आवंटित थी के किला नम्बर 11 में 1 बीघा, किला नम्बर 12 में 10 बिस्वा, किला नम्क्बर 13 में 08 बिस्वा, किला नम्बर 19 में 05 बिस्वा, किला नम्बर 21 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 22 में 05 बिस्वा इसप्रकार कुल 3 बीघा 03 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है। जबकि इसी किला नम्बर 13, किला नम्बर 22 व किला नम्बर 19 में पूर्व में ही दिनांक 10—07—1987 को अपीलांट रामसिंह को भूमि आवंटित है। ऐसी स्थिति में जो भूमि वर्ष 1987 से अपीलांट रामसिंह को आवंटित है। यदि इसी मुरब्बें व इन्हीं किलों की शेष भूमि स्मालपेच में आवंटित की जाती है तो उसकी प्रथम वरीयता अपीलाट की बनती है। उल्लेखनीय यह भी है कि रेस्पोडेन्ट

संख्या 1 सुबोध की उक्त मुरब्बें में भूमि निहित नहीं होकर नहर के दूसरी तरफ अर्थात पश्चिम की तरफ चक 27 बीडी'बी' में भूमि स्थित है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की वादग्रस्त भूमि के आवंटन की वरियता नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड व मौके के विपरीत जाकर नहर के पूर्व व पश्चिम की भूमि चक 27 बीडी 'बी' के आवंटन आदेश जारी किये गये है। जो विधि सम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का निर्णय दिनांक 28–06–2016 निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि दोनों चकों में नहर व अनिवार्य वन पट्टी की भूमि को छोडते हुए यदि आवंटन योग्य भूमि शेष है तो आवंटन अधिकारी पुनः आवंटन से करने से पूर्व आवश्यक रूप से सीएडी चक प्लान, मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी एवं तहसीलदार से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त विधि अनुसार पुनः आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न करें। दोनों पक्षों को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साक्ष्य व सबूतों के साथ दिनांक 21–10–2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आवें।

9. निर्णय आज दिनांक 27–09–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर